

प्रेस विज्ञापन

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 02.06.2025

दशैं के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता 1. शिवधनी पुत्र मंगरू निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2. रामउजागिर गुप्ता पुत्र हंसराज गुप्ता निवास केरमुआ माफी, चकदही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, हे0का0 निरुद्धीन खाँ, का0 बलराम यादव,।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत शिवाय होटल से कालर द्वारा बाईक पलट जाने के कारण घायल 02 लोगों (1. धीरज पुत्र हरिराम 2. अनिल पुत्र झिनकारी निवासी रनियापुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 रामजी शाह, हो0चा0 महेश्वर शुक्ला।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 104 वाहनों से 1,13,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 104 वाहनों से 1,13,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।